

30  $\frac{11}{22}$

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं-3 असामान्य  
उप। वादीगण की ओर से कोई उपस्थित  
नहीं होने पर बार-बार आवाज -  
लगाने के बावजूद वादीगण एवं -  
वादीगण के अधिकार अनुपस्थित रहे।  
वादीगण एवं अधिकार अपने द्वारा  
प्रस्तुत काद को आगे चलाने के  
प्रति जेम्भीर नहीं होने के कारण वादी  
का काद अदम एजरी एवं अदम पेशी  
में धारित रिफा जाल है। निर्णय आज  
दिनांक 30/11/2022 को उच्च न्यायालय  
में सुनाया गया। पत्रावली पेशाव शुरुआत  
होकर बाद लेख भण्डार है।

उप जिला कलक्टर  
लवाण